<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला–बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रकरण.क.—495 / 2008</u> संस्थित दिनांक—16.07.2008 फाईलिंग क. 234503000442008

1—राजकुमार उर्फ लल्ला पिता बुधराम उम्र—26 वर्ष, निवासी—ग्राम झीरिया, आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—गोविंद उर्फ जबलपुरिया पिता छोटेलाल (पूर्व निर्णित) निवासी—ग्राम उकवा, थाना रूपझर जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—रफीक पिता जानी बाबू **(फौत घोषित)** निवासी—ग्राम उकवा, थाना रूपझर जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — — — — **आरोपीगण**

// निर्णय // (आज दिनांक-08/02/2016 को घोषित)

1— आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379/34, 411 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—29.06.2008 की रात्रि में पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत दस हजार चैनेज उकवा माईन्स में चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर उकवा माईन्स के आधिपत्य से पांच क्विंटल मैगनीज, चार नग लोहा रॉड लंबाई 4—5 फिट, एक नग लोहा बका, 4 नग लोहा पाईप, एक नग हॉलेज ब्रेक, कुल जुमला कीमती 10,000/—रूपये को बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की तथा पांच क्विंटल मैगनीज, चार नग लोहा रॉड लंबाई 4—5 फिट, एक नग लोहा बका, 4 नग

लोहा पाईप, एक नग हॉलेज ब्रेक जो कि चुराई गई संपत्ति है को बेईमानी से अपने पास रखा।

- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी अनिल ने 2-थाना रूपझर अंतर्गत चौकी उकवा में एक लिखित आवेदन इस बाबद् दिया कि दिनांक-29.06.2008 की रात्रि को वह दस हजार चैनेज उकवा माईन्स में ड्यूटी पर था, तब उसने देखा था कि उक्त सेक्शन में रखा करीब 5 क्विंटल मैगनीज कीमती करीब 5,000 / - रूपये, चार रॉड केबल बोल्टीज लोहे के लंबाई करीब 4-5 फिट, एक लोको लोहा का चक्का, चार पाईप लोहे के करीब 10 फिट, एक हॉलेज का लोहे का ब्रेक, जो जुमला कीमती 10,000 / – रूपये है, नहीं थे जो किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया है। उक्त घटना के संबंध में उसने माईन्स मैनेजर ए.व्ही. मसादे साहब को बताया। फिर पुलिस चौकी उकवा में रिपोर्ट किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर चौकी उकवा में अज्ञात के विरूद्ध अपराध क्रमांक-0/08, धारा-379 दर्ज कर पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु आरक्षी केन्द्र रूपझर भेजा जहां अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-73 / 2008 धारा–379 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान उक्त घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, विवेचना के दौरान आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन लेख कर चोरी गई संपत्ति जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा-411, 34 का ईजाफा किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत उनके विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।
- 3— आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379/34, 411 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी के द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।
- 4- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्द् यह है कि:--
 - 1. क्या आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला ने दिनांक-29.06.2008 की रात्रि में

पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत दस हजार चेनेज उकवा माईन्स में चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर उकवा माईन्स के आधिपत्य से पांच क्विंटल मैगनीज, चार नग लोहा रॉड लंबाई 4—5 फिट, एक नग लोहा बका, 4 नग लोहा पाईप, एक नग हॉलेज ब्रेक, कुल जुमला कीमती 10,000/—रूपये को बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

2. क्या आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर पांच क्विंटल मैगनीज, चार नग लोहा रॉड लंबाई 4–5 फिट, एक नग लोहा बका, 4 नग लोहा पाईप, एक नग हॉलेज ब्रेक जो चुराई हुई संपत्ति है को बेईमानी से अपने पास रखा ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी अनिल (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—29.06.2008 को उकवा माईन्स में सिक्यूरिटी गार्ड के रूप में पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने सेक्शन में मैगनीज व लोहे की रॉड, लोहे का पाईप इत्यादि सामान चोरी होने की सूचना माईन्स मैनेजर को दी थी और उसने मैनेजर के कहने पर घटना की रिपोर्ट चौकी उकवा में जाकर लिखित आवेदन देकर प्रदर्श पी—11 के माध्यम से की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके द्वारा लेख कराई गई रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का समर्थन किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराई गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मैगनीज की जानकारी स्टॉक रिजस्टर में होती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा क्या के उसके द्वारा क्या के बाद मैगनीज नहीं मिलाया गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त काम उसका नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उकवा माईन्स से सामान की चोरी नहीं हुई। यद्यपि साक्षी ने स्वयं सूचनाकर्ता के रूप में माईन्स के मैनेजर को कथित चोरी की जानकारी दिए जाने व रिपोर्ट लेख करने का समर्थन किया है, किन्तु कथित मैगनीज व लोहे के सामान की

चोरी की जानकारी किस आधार पर उसे प्राप्त हुई, इसका खुलासा साक्षी ने अपने कथन में नहीं किया है।

मामलें में अनुसंधानकर्ता अधिकारी लोकमन प्रसाद (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में सूचनाकर्ता अनिल के लिखित आवेदन प्रदर्श पी-11 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया जाना और असल कायमी किये जाने की पुष्टि की है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चोरी गया सामान पांच क्विंटल से अधिक वजन का था और उक्त वजनी सामान सामान्यतः उठाकर नहीं ले जाया सकता, बल्कि वाहन के माध्यम से ही ले जाया जा सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि विवेचना में चोरी गया सामान किस वाहन से ले जाया गया था, उसके द्वारा विवेचना नहीं की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त चोरी गए सामान बाबत् उसने स्टॉक रिजस्टर की जांच कर जप्ती नहीं की थी तथा उसने इस बारे में भी विवेचना नहीं की थी कि पहले से स्टॉक रजिस्टर में कितना सामान था और चोरी के बाद कितना सामान बचा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि किसी ने भी उक्त चोरी होते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार मामलें में फरियादी उकवा माईन्स के आधिपत्य से कथित पांच क्विंटल मैगनीज व लोहे की रॉड, पाईप व अन्य सामान चोरी होने के संबंध में अभियोजन ने ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है बल्कि अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि मात्र शंका के आधार पर कथित चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस प्रकार मामलें में फरियादी के आधिपत्य से मैगनीज व अन्य सामान की चोरी होना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

7— यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि फरियादी के आधिपत्य से कथित चोरी की घटना हुई थी, तब ऐसी दशा में अभियोजन यह प्रमाणित करना होगा कि कथित चोरी आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला के द्वारा ही की गई थी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कथित चोरी की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध लेख कराई गई थी। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही व अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि मामलें में जप्तशुदा सामग्री आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला के बताए अनुसार एवं उसके आधिपत्य से जप्त की गई।

- 8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी जीवनलाल (अ.सा.4), सुरेश (अ.सा.6) एवं नरेन्द्र (अ.सा.3) के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी लोकमन प्रसाद (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया कि प्राथमिकी दर्ज होंने के पश्चात् उसने दिनांक—01.07.2008 को घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—12 तैयार कर फरियादी अनिल व अन्य साक्षीगण के कथन लेख किये थे। उसने दिनांक—02.07.2008 को आरोपी राजकुमार को अभिरक्षा में लेकर मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—4 लेख किये थे, जिसमें चोरी किये गए सामान को रफीक कबाड़ी को बेच दिया जाना और मैगनीज की पांच बोरी छुपाकर झाड़ी के किनारे रखना बताया था। उक्त आरोपी से साक्षी दाउलाल व सेवकराम के समक्ष मैगनीज प्रदर्श पी—1 अनुसार जप्त किया गया था और आरोपी रफीक की कबाड़ी से चोरी गया अन्य सामान के संबंध में तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी—6 तैयार कर उक्त सामान आरोपी रफीक से जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था।
- 10— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि सामान्यतः उक्त वजनी चोरी का सामान कोई उठाकर नहीं ले जा सकता तथा वाहन के माध्यम से ही ले जाया जा सकता है। ऐसी दशा में साक्षी के द्वारा चोरी वाले सामान का परिवहन करने वाले वाहन को जप्त न किये जाने का कोई कारण नहीं बताया। उक्त वाहन के संबंध में आरोपी राजकुमार के मेमोरेण्डम कथन में भी लेख नहीं किया गया है और नहीं वाहन के संबंध में विवेचना किये जाने के संबंध में साक्षी ने कोई पर्याप्त कारण बताया है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा मामलें की प्रकृति व परिस्थिति में वाहन की जप्ती व उसके संबंध में विवेचना न कर तात्विक त्रुटि की गई है।
- 11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी लोकमन प्रसाद (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में माईन्स के सामान के स्टॉक रिजस्टर की जांच न किये जाने के संबंध में भी कोई कारण नहीं बताया है। वास्तव में यदि कथित मात्रा वाले मैगनीज व अन्य सामान की चोरी होती तो अवश्य ही उस सामान का स्टॉक रिजस्टर में इन्द्राज होने पर उसे जप्त किया जाता, किन्तु उक्त स्टॉक रिजस्टर की जप्ती की कार्यवाही एवं उसका मिलान

करने संबंधी जांच न कर अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने विवेचना में तात्विक त्रुटि की है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मेमोरेण्डम व जप्ती कार्यवाही के पंच साक्षी दादूलाल (अ.सा.1), सेवकराम (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी राजकुमार की पहचान नहीं की है और न ही चोरी के संबंध में कोई जानकारी होना बताया है। उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में उकवा माईन्स में चोरी की जानकारी होने से ही इंकार किया है। साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा उनके सामने आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला से मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 एवं जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 के अनुसार कार्यवाही किये जाने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षीगण ने अभियोजन मामलें एवं जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन न किये जाने तथा आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला की पहचान न किये जाने तथा चोरी की घटना का समर्थन न किये जाने से आरोपी के विरूद्ध की गई कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है। वास्तव में आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला को कथित चोरी करते हुए किसी के द्वारा नहीं देखा गया है और न ही उससे कोई मेमोरेण्डम कथन लिये जाने व उसके बताए अनुसार कोई सामान की जप्ती का समर्थन पंच साक्षी के द्वारा न किये जाने से मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की अपुष्ट एवं तात्विक त्रुटि से ग्रसित कार्यवाही के आधार पर अभियोजन का मामला आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला के विरूद्ध पूर्णतः संदेहास्पद प्रकट होता है।

13— मामलें में कथित मैगनीज व लोहे के सामान की चोरी होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है और न ही आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला से कथित मैगनीज की विधिवत् बरामदगी प्रमाणित है। प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कथित चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा स्वयं सूचनाकर्ता व फरियादी ने उक्त चोरी का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने आरोपी को कथित चोरी करते हुए देखे जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार मामलें में आरोपी के द्वारा कथित मैगनीज व लोहे के सामान की चोरी किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा पारिस्थितिक साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। ऐसी दशा में आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला के विरुद्ध घटना के समय फरियादी के आधिपत्य से कथित

मैगनीज व अन्य सामान की चोरी किये जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

14— प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में दस हजार चेनेज उकवा माईन्स में चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर उकवा माईन्स के आधिपत्य से पांच क्विंटल मैगनीज, चार नग लोहा रॉड लंबाई 4—5 फिट, एक नग लोहा बका, 4 नग लोहा पाईप, एक नग हॉलेज ब्रेक, कुल जुमला कीमती 10,000/—रूपये को बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की तथा पांच क्विंटल मैगनीज, चार नग लोहा रॉड लंबाई 4—5 फिट, एक नग लोहा बका, 4 नग लोहा पाईप, एक नग हॉलेज ब्रेक जो कि चुराई गई संपत्ति है को बेईमानी से अपने पास रखा। अतएव आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379/34, 411 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15— आरोपी के जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

16— प्रकरण में आरोपी राजकुमार उर्फ लल्ला दिनांक—02.07.2008 से दिनांक—04.07.2008 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

17— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पांच क्विंटल मैगनीज, चार लोहे के पाईप, चार लोहे की रॉड, एक लोहे का चका, एक लोहे का हॉलेज ब्रेक सुपुर्ददार अनिल कुमार पिता सोहनलाल को सुपुर्दनामा पर दिया गया है, अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में उक्त संपत्ति के संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट